<u>विशेष न्यायालय (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)/</u>
<u>अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, कोर्ट संख्या:– 02, उन्नाव</u>

UPUN010046262026

<u>प्रकीर्ण वाद संख्या:– 266/2026</u>

रज्जो बनाम रहीश आदि

<u>दिनांक:– 12.08.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार लगाई गई।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थिनी के द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा:– 173(4) बी०एन०एस०एस० मे कथन किया गया है कि प्रार्थिनी रज्जों पत्नी स्व० मानू रावत निवासी ग्राम आंटा पोस्ट बन्थर परगना हड़हा थाना अचलगंज तहसील व जिला उन्नाव की एक विधवा तथा असहाय अनुसूचित जाति की महिला है। इसी बात का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थिनी के गाँव के ही वर्तमान प्रधान रहीश पुत्र जंगली जो बहुत ही दबंग तथा भूमाफिया प्रवृत्ति का आपराधिक व्यक्ति है जिसकी शासन प्रशासन में भी अच्छी सॉठ गाँठ है। जिसके दबाव के चलते उक्त रहीश व उसके गुर्गे पंण्डित पुत्र रज्जू, पुद्दी पुत्र पलानटी, राजकुमार पुत्र रामभजन निवासीगण आंटा थाना अचलगंज जिला उन्नाव प्रार्थिनी की भूमि पर जबरन व अवैध कब्जा कर प्लाटिंग करने की फिराक में है और जब प्रार्थिनी व उसके पुत्र द्वारा मना किया गया तो उक्त लोगो के द्वारा प्रार्थिनी व उसके पुत्र को गन्दी–2 अश्लील गालियाँ देते हुए जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया तथा धमकी दी कि मेरे रास्ते में रोडा बननें की कोशिश मत करना नही तो इसी जमीन में तुम्हे व तुम्हारें पुत्र को मार कर दफना देगें और मेरा कोई बाल बांका पुलिस प्रशासन नही कर पायेगा। इसी बात की शिकायत भी प्रार्थिनी द्वारा थाना हाजा पर की थी तथा दिनांक 12.05.2026 व 14.05.2026 को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय व अन्य उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया था परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न होने के कारण प्रार्थिनी बहुत दुखी तथा परेशान व सदमें में थी। आज दिनांक 21.05.2026 को समय करीब सुबह 10 बजे चौकी बदरका थाना अचलगंज की पुलिस के सामने प्रार्थिनी के पुत्र शिवप्रसाद को गन्दी–2 अश्लील व जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और दो तमाचे मार दिये और वहाँ मौजूद पुलिस ने भी रहीश का ही पक्ष लेते हुए सुलह का दबाव बनाया। प्रार्थी ने सारी घटना का वीडिया भी बना लिया परन्तु जब दीवान को पता चल गया तो उसने जबरन वीड़ियों डिलीट करा दिया तथा कुछ वीडियो प्रार्थिनी के पास मौजूद है प्रार्थिनी के व उसके पुत्र के साथ प्रधान रहीश व उसके गुर्गे के साथ–साथ अब पुलिस के द्वारा किये गये बर्ताव से प्रार्थिनी बहुत ही क्षुब्ध और दुखी है। यदि प्रार्थिनी की रिपोर्ट समक्ष धाराओं में दर्जकर कानूनी कार्यवाही नही की गई तो प्रार्थिनी व उसका पुत्र जिलाधिकारी कार्यालय या पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामनें आत्महत्या करने को मजबूर हो जायेगे। प्रार्थिनी ने उक्त के बावत एक शिकायती प्रार्थना पत्र थाना हाजा पर दिया था। किन्तु कोई

कार्यवाही नही हुई और शिकायत की जानकारी उपरोक्त लोगो को हो गई तो उक्त लोगो ने गन्दी 2 गालियों दे जान माल की धमकी भी दे रहे है प्रार्थिनी विवश होकर उन्नाव आयी और श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव को व्यक्तिगत व जरिये आई०जी०आर०एस० तथा रजिस्टर्ड डाक से शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था किन्तु कोई कार्यवाही नही हुई। प्रार्थिनी द्वारा कई उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया गया किन्तु फिर भी कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थिनी बहुत ही हैरान व परेशान है तथा प्रार्थिनी को जान माल का खतरा बना हुआ है तब प्रार्थिनी विवश होकर माननीय न्यायालय के समक्ष न्याय की मंशा से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि थाना अचलगंज जिला उन्नाव को निदेर्शित करे की वह प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश पारित करने की कृपा करे।

आवेदिका के द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के साथ आवश्यक प्रपत्र दाखिल किए गए है।

संबंधित थाना अचलगंज से आख्या तलब की गई। थाना से प्राप्त उप–निरीक्षक अनिल त्रिपाठी की आख्या के अनुसार प्रार्थना–पत्र में अंकित आरोपों के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों एवं आख्या का अवलोकन किया।

धारा:– 156(3) दं०प्र०सं० के निस्तारण के सम्बन्ध में नजीर **Mrs Priyanka Srivastava and others Vs State of U.P. and others 2015 AIR SCW 2075** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत अभिप्रकट किया है कि मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार के भीतर उपयुक्त मामले मे तथ्य की जाचं हेतु अधिकृत है जिसके लिए यह शपथ–पत्र लेकर कार्यवाही करेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि तथ्यों की जांच करते समय आरोप के प्रकार पर विचार किया जाए क्योंकि अधिकांश मामले वैवाहिक, पारिवारिक मतभेद, वाणिज्यिक मतभेद, भ्रष्टयाचार, चिकित्सीय उपेक्षा से सम्बन्धित होते है और ऐसे मामलों को बढ़ा चढ़ाकर विधिपूर्ण तरीके से तैयार कर न्यायालय में प्रेषित किया जाता है। उपरोक्त विनिश्चय में माननीय न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि प्रार्थना–पत्र मे दिए गए तथ्य की विश्वसनीयता को परखते हुए न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए धारा:– 156(3) दं०प्र०सं० के प्रार्थना–पत्र पर विचार करना चाहिये एवं मापदण्डों के अनुरूप ही उक्त पर आदेश पारित करना चाहिये।

विधि व्यवस्था **जोजेफ माधुरी उर्फ विशेश्वरी नन्दा आदि बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरिसाक्षी आदि सुप्रीम कोर्ट 2001 (Suppl.) A.C.C. पृष्ठ 951, सुरेश चन्द्र जैन–बनाम–मध्य प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 2001 Supreme Court पेज 571, मोहम्मद युसुफ–बनाम–आफाक जहाँ व अन्य 2006 (1) एस.सी.सी.(फौज.) पेज 1460** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा:– 156(3) दं०प्र०सं० के प्रार्थना–पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किया जा सकता है।

इसी संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **Naresh Kumar Valmiki v. State of U.P., Application under Section 482 No. 14443 of 2022 dated 17.10.2022,** wherein Division Bench of Hon. Allahabad High Court held that Exclusive Special Court or Special Court

under the SC/ST Act, 1989 can treat an application under Section 156(3) of Cr.P.C., as a complaint.

इसी संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **ओम प्रकाश अम्बेडकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य 2025 Live law (S.C.) 139** में भी कथन किया गया है कि the allegations made in the complaint are simple, where the Court can straightaway proceed to conduct the trial, the Magistrate is expected to record evidence and proceed further in the matter, instead of passing the buck to the Police under Section 156(3) of the Cr.P.C. Ofcourse, if the allegations made in the complaint require complex and complicated investigation which cannot be undertaken without active assistance and expertise of the State machinery, it would only be appropriate for the Magistrate to direct investigation by the police authorities. The Magistrate is, therefore, not supposed to act merely as a Post Office and needs to adopt a judicial approach while considering an application seeking investigation by the Police."

उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुक्रम में प्रार्थना-पत्र के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 21.05.2026 को समय करीब सुबह 10 बजे चौकी बदरका थाना अचलगंज की पुलिस के सामने प्रार्थिनी के पुत्र शिवप्रसाद को विपक्षीगण द्वारा गन्दी-गन्दी अश्लील व जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने और दो तमाचे मारने व पुलिस द्वारा भी विपक्षी रहीश का पक्ष लेते हुए सुलह का दबाव बनाने का व पूर्व में भी प्रार्थिनी की भूमि पर जबरन व अवैध कब्जा करने प्लाटिंग करने की फिराक में थे जिससे प्रार्थिनी व उसके पुत्र द्वारा मना करने पर भी उक्त लोगों द्वारा प्रार्थिनी व उसके पुत्र को गन्दी-गन्दी अश्लील गालियाँ व जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। आवेदिका को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मे अभियुक्तगण के नाम व विवरण तथा साक्षियों के साक्ष्य की भी जानकारी है। विवेचना से किसी नए तथ्य के उद्भूत होने की कोई सम्भावना नही है। अतः आवेदिका प्रार्थना-पत्र में किए गए तथ्यों के बाबत साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती है।

प्रार्थना-पत्र में दर्शित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज कर जाँच प्रकिया का अनुसरण करके आदेशिका पर विचार किया जाना न्यायोचित पाती है।

आदेश

प्रस्तुत प्रकरण परिवाद के रूप में दर्ज हो। तद्नुसार प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बयान परिवादिनी अन्तर्गत धारा:- 223 बी०एन०एस०एस० दिनांक 22.10.2026 को पेश हो।

दिनांक:- 12.08.2026

(अंकिता शुक्ला)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या:-02, उन्नाव